महिला उत्थान और डॉ. अंबेडकर

फूल सिंह गंगवाल
सहायक आचार्य :– समाजशास्त्र
राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरली गंज, अलवर

सार :–

भारत में नारियों की और दलितों की समान स्थिति रही है। दोनों वर्गों का इतिहास भारत में शोषण और अत्याचार का इतिहास रहा है। दोनों पर होने वाला शोषण कोई नया नहीं बल्कि अति प्राचीन है। नारियों के संदर्भ में बात करे तो भारत में इनके साथ दोहरा और भ्रमात्मक व्यवहार किया जाता रहा है। जहाँ उनका एक तरफ पूजनीय मानकर गुणगान किया गया है – ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' तो दूसरी तरफ उनके अस्तित्व को पुरुषों के अधीन कर उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया गया है –

''पिता रक्षति कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पूत्रा न स्त्री स्वातंत्रयमर्हति।।

इसके साथ ही तुलसीदास द्वारा ''ढोल, ग्वार, शूद्र, पशु, नारी – ये सब ताड़न के अधिकारी'' चौपाई लिखकर अत्याचार का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। किंतु नवभारत के संविधान ने महिलाओं की स्थिति को न केवल बेहतर बनाया बल्कि प्राचीन धर्मग्रंथों के अन्याय और अत्याचार को नष्ट कर दिया।

कुंजी शब्द :– महिलाऐं, नारी, अत्याचार, शोषण, अधिकार

उद्देश्य :–

1. महिलाओं के ऊपर शोषण और अत्याचार के मूल कारण को खोजना।
2. महिलाओं पर होने वाले शोषण का उजागर।
3. महिलाओं की स्वतंत्रता के मुक्तिदाता को उजागर करना।
4. महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए चिंतन करना।

महिलाओं के उत्थान में डॉ. अंबेडकर की भूमिका :–

भारत में महिलाओं पर किये जाने वाला अत्याचार नया नहीं बल्कि प्राचीन है। यद्यपि समय–समय पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाले समाजसेवी, संत, विद्वानजन भी प्रकट हुए किंतु उनके प्रयास उसी तरह थे

जैसे ''ऊँट के मुँह में जीरा'' अर्थात् प्रयास किये जरूर थे किंतु नाममात्र के। हो सकता है कि वे रूढ़िवादी संगठित समाज के भय से पीछे हट गये हों।

यद्यपि वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति का वर्णन किया गया है। किंतु ऐसी स्थिति उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं तक ही सीमित रही है। रामायण और महाभारत काल में इन उच्चवर्गीय महिलाओं की शोषण और अत्याचारपूर्ण स्थिति छिपी नहीं है। रामायण काल में सीता का राम के द्वारा परित्याग और जंगलों में रहने के लिए विवश करना छिपा नहीं है। इसी प्रकार रावण की बहिन की नाक काटा जाना पुरुष अत्याचार की कहानी कहता है। महाभारत में द्रौपदी को पाँच पांडवों की पत्नि बनाना और भरी सभा में लज्जित किया जाना। ऋषियों द्वारा महिलाओं से वरदान के नाम पर अवैध संबंध स्थापित करना शोषण का प्रतीक रहा है। इन कालों की रचनाओं में महिलाओं के अस्तित्व को पूरी तरह पुरुषों के अधीन कर दिया गया। जिसका लाभ आगे आने वाले पुरुष समाज ने उठाया।

''बौद्ध काल में महिलाओं को सदियों बाद एक आशा की किरण दिखाई दी जिसमें महिलाओं को न केवल स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बल्कि उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। महिलाओं ने मनुवादी व्यवस्था को तोड़कर खुले वातावरण में साँस ली। भगवान बुद्ध ने मानवता, समता, बंधुता, करुणा और ज्ञान के लिए धर्म के द्वार खोल दिये। उन्होंने गृहस्थों को महिलाओं के आदर देने के उपदेश जारी किये।''[1] मध्यकाल में विदेशी सत्ताधारकों और भारतीय सामंतों, मठ मंदिरों के संतों ने दासी, देवदासी जैसी प्रथाओं के जरिये महिलाओं को भोग की वस्तु बना डाला।

महिलाऐं पुनः एक बार पुरुष बंधनों में तड़पने लगी। यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेकों संत, महापुरुष, समाजसेवी आये किंतु वे रूढ़िवादी व्यवस्था के दबाव में दब गये। यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार दिखाई देता है तो वह डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रयासों और कार्यों में दिखाई देता है। उन्होंने दलितोद्धार के साथ महिलाओं के उद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। ''उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में श्रम विभाग के सदस्य के रूप में महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति लाभ विधेयक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, काम के घंटे, वेतन वृद्धि आदि प्रयास किये।''[2]

भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् निर्मित संविधान में उन्होंने न केवल स्त्री–पुरुष को समानता का अधिकार दिया बल्कि महिलाओं के लिए विशेष उपबंध स्थापित कर महिलाओं के उत्थान में अपनी भूमिका को स्पष्ट कर दिया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं नीति–निदेशक अध्याय में इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर नारियों की दशा से कितने चिंतित थे। यद्यपि उनकी महिलाओं और दलितों के प्रति होने वाले शोषण की चिंता नई नहीं। उन्होंने महिलाओं और दलितों के मानवाधिकार स्थापित करवाने के व्यावहारिक प्रयास महाड़ आंदोलन 1927 में शुरू कर दिया था। जब उन्होंने चावदार तालाब का पानी पी कर और मनुस्मृति का दहन कर महिला और दलितों की मुक्ति के आंदोलन का आगाज किया था। इस समय उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ''अपने आपको आप हीन क्यों मानती हो, चाहे कपड़ों पर कितनी ही पातियाँ क्यों न लगी हो किंतु

अपने तन को स्वच्छ कपड़ों से ढँको, अपने मनपसंद की धातुओं के गहने पहनो यह तुम्हारा अधिकार है। तुम पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है।''[3]

उनकी यह वाणी महिलाओं के लिए देवदूत की वाणी बन गई थी। जिसके बाद महिलाओं ने न केवल अपनी स्थिति में सुधार किया बल्कि उन्होंने डॉ. अंबेडकर के आंदोलनों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

18 जुलाई 1942 को महिलाओं के विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ''मुझे महिलाओं की योग्यता पर पूरा विश्वास है। यदि इन्हें ठीक तरह से समझाया जाये तो निःसंदेह वे समाज की प्रगति के लिए काम करेगी.....इन सबसे ऊपर वह प्रत्येक लड़की जो विवाह करे अपने पति का सहयोग करे। वह पति का मित्र व समकक्ष बने न कि दासी।''[4]

डॉ. अंबेडकर ने केवल दलित महिलाओं के उद्धार का कार्य नहीं किया, बल्कि उनकी महिला उद्धार की दृष्टि पूर्वाग्रहमुक्त संपूर्ण महिलाओं की मुक्ति का आह्वान था। इसका श्रेष्ठ उदाहरण मिलिंद कॉलेज, औरंगाबाद है, जब कॉलेज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब डॉ. अंबेडकर ने चार सवर्ण छात्राओं की पढ़ाई के लिए पृथक विद्यालय खुलवाया।''[5]

इसके अतिरिक्त महिलाओं का प्रसूत अवकाश, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कार्य घंटे, वेतन वृद्धि जैसे विधेयक किन्हीं एक वर्ग की महिला के लिए नहीं, बल्कि उसमें संपूर्ण महिलाओं का उद्धार समाहित है। डॉ. अंबेडकर महिलाओं के लिए संविधान में किये गये प्रावधानों से ही संतुष्ट नहीं हुए बल्कि उनका मानना था कि ''नर–नारी की समान सहभागिता से ही किसी राष्ट्र की उन्नति संभव है। मैं विशेषकर समाज और राष्ट्र की उन्नति का अनुमान महिलाओं की उन्नति और प्रगति से ही लगाता हूँ।''[6]

उन्होंने संविधान के अतिरिक्त 'नारी मुक्ति' के लिए हिंदू कोड बिल का निर्माण कर महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के लिए संवैधानिक आंदोलन छेड़ा। यद्यपि यह विधेयक कोई नया नहीं था बल्कि 1941 में बी.एन. राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसका प्रारूप तैयार किया था, परंतु उनके प्रयास विफल रहे थे। अतः डॉ. अंबेडकर ने इसको पुनः संशोधित कर नये रूप में निर्मित किया। इसे संविधान के अंतर्गत शामिल करने के लिए 11 जनवरी 1950 से सिद्धार्थ कॉलेज में इसकी वकालत करते हुए कहा कि ''हिंदू कोड बिल का उद्देश्य हिंदू कानूनों में सुधार करके उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना है। यह देश की एकता के लिए जरूरी है ताकि सामाजिक एवं धार्मिक जीवन एक ही प्रकार के कानून से चलाया जाए। हिंदू कोड बिल सिविल कोड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून न केवल उन्नति व प्रगति के नये विचारों को स्वीकृति के साथ रूढ़िवादी रीतियों को भी स्वीकारता है।''[7]

नवंबर, 1950 में उन्होंने 39 पृष्ठों हिंदू कोड बिल की एक पुस्तिका सांसदों को वितरित की तथा 5 फरवरी, 1951 को इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया, किंतु चर्चा सितंबर में शुरू हो सकी। संसद में हिंदू–कोड बिल पर विवाद बढ़ने के कारण पारित न हो सका एवं बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बिल को मृत्यु तक पहुँचा दिया गया।''[8]

हिंदू कोड बिल महिलाओं का मुक्ति का विधेयक था किंतु कितना दुर्भाग्य है कि संसद के बाहर रूढ़िवादियों के साथ महिलाऐं अपनी मुक्ति के प्रयासों का विरोध कर रही थी, तो संसद में बैठी महिलाऐं इसका समर्थन।''[9]

हालांकि डॉ. अंबेडकर अपने खराब स्वास्थ्य के पश्चात् भी महिलाओं की मुक्ति के लिए चिंतित थे और वे हिंदू कोड बिल को उसी रूप में पारित नहीं करा सके जिस रूप में उसे प्रस्तुत किया गया था। ''रूढ़िवादियों के विरोध के कारण कॉंट–छाँट कर 4 भागों में इसे पारित किया गया। डॉ. अंबेडकर ने रूढ़िवादियों और प्रधानमंत्री के लचीलेपन से निराश होकर मंत्रीमण्डल से त्याग–पत्र दे दिया।''[10]

निष्कर्ष :–

निःसंदेह आज की महिलाऐं अपनी स्वतंत्रता के मुक्तिदाता को नहीं पहचानती हों, किंतु जब भी इतिहास को खंगाला जायेगा तब वे अपने मुक्तिदाता डॉ. अंबेडकर के प्रति श्रृद्धा से नतमस्तक होगी। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवनपर्यंत विशेषकर दलित और महिलाओं को शोषण और अत्याचारपूर्ण जिंदगी से मुक्ति के लिए व्यावहारिक प्रयास किये हैं, शायद ही कोई कर पायेगा। यह डॉ. अंबेडकर के सार्थक और व्यावहारिक संघर्ष का ही परिणाम है कि आज महिलाऐं खुले आसमान में उड़ रही हैं। अपनी प्रगति के नये–नये आयाम स्थापित कर रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. मेघवाल, कुसुम ''भारतीय नारी के उद्धारक : डॉ. बी.आर. अंबेडकर'' सम्यक प्रकाशन, दिल्ली पृ.24
2. संपूर्ण वाड़मय : डॉ. अंबेडकर ''अंबेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, दिल्ली पृ. 20–18
3. हर्ष, हरदान ''डॉ. भीमराव अंबेडकर जीवन–दर्शन'' पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 20
4. मेघवाल, कुसुम , वही पृ. (100–101)
5. वही पृ. 102
6. वही पृ. 101
7. वही पृ. 123
8. वही पृ. 125
9. वीर, धनंजय ''डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जीवन–चरित, पॉप्युलर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 410
10. कुबेर, एन.डब्ल्यू '''आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अंबेडकर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृ.58